

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश :: प्रशासन गांधी के संघ अधिनियम-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निम्बोटेडा जायन भू अभिलेख निरीक्षक नि.०.जा.० की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नि.०.जा.० पटवार हल्का नि.०.जा.० तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 45, 46, में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा निम्बोटेडा जायन	45, 46,	मोहन पत्नी मोहन	मोहन इफ मोहन पत्नी मोहन

प्रभासी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 29

दिनांक:- 14/11/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभासी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा